न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार, आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 09/2025

उनवान

मोहम्मद जैनुल आबेदीन पुत्र हाजी अमीर मोहम्मद, उस वर्ष जाति मुसलमान, निवासी–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
2. अशोक कुमार पुत्र दानवीर
3. सूरजी देवी पत्नी दानवीर
4. ललिता देवी पुत्री दानवीर

जाति धानका, निवासी देवन चौराहा–शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती हाल कम्प्युटरीकृत नक्शा ट्रेस

निर्णय दिनांक 23.6.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया कि हाल आराजी खसरा नं0–4031/5644, 4031/5643, 4031/5646 मय दीगर आराजी ग्राम–शाहपुरा तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त भूमि में हाल खसरा नं0–4031/5643 के लगता हुआ दक्षिण में हाल खसरा नं0–4031/5644 व खसरा नं0–4031/5644 के लगता हुआ दक्षिण में हाल खसरा नं0–4031/5646 स्थित है जिसका नक्शा उक्त अनुसार साबिक व हाल सेटिलमेन्ट के समय से बना हुआ है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी–शाहपुरा के निर्णय की पालना में हाल आराजी खसरा नं0–4031/5644 रकबा 0.03 हेक्टर की खातेदारी नामान्तकरण सं0–2503 दिनांक–21.08.2012 से प्रार्थी के नाम व हाल खसरा नं0–4031/5646 रकबा 0.02 हैक्टर की खातेदारी ना0सं0–2503 दिनांक–21.08.2012 के जरिये दानवीर पुत्र चन्दाराम धानका के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी।

प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं0–4031/5644 रकबा 0.03 हैक्टर मे से रकबा 0.0038 हैक्टर एन.एच.ए.आई. के नाम होने से प्रार्थी की खातेदारी में हाल खसरा नं0–4031/5644 रकबा 0.0262 है०शेष रहा। तत्पश्चात न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के अपील सं०–321/2012 दानवीर बनाम मोहम्मद जैनुल आबेदीन में पारित निर्णय दिनांक–26.05.2017 द्वारा न्यायालय द्वारा जरिये राजीनामा निर्णय पारित किया हाल खसरा नं0–4031/5644 के हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे 0.03 हैक्टर में से रकबा 0.02 हैक्टर के रेस्पोडेन्ट मोहम्मद जैनुल आबेदीन को व हाल खसरा नं0–4031/5646 रकबा 0.02 हैक्टर व इससे लगते उत्तर की तरफ से खसरा नं0–4031/5644 के रकबे मे से 0.01 हैक्टर का अपीलार्थीगण को कुल रकबा 0.03 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निर्णय पारित किया। न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में हाल आराजी खसरा नं0–4031/5644 रकबा 0.0262 है० मे से 0.01 हैक्टर का हाल खसरा नं0–4031/5776 रकबा 0.01 हैक्टर कायम कर उसकी खातेदारी नामान्तकरण सं0–3301 दिनांक–17.10.2017 के जरिये अप्रार्थीगण सं0–2 लगायत 4 के नाम दर्ज की गयी तत्पश्चात प्रार्थी की खातेदारी मे 4031/5644 रकबा 0.0162 है० 'शेष रहा जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व प्रार्थी हाल खसरा नं0–4031/5643 के दक्षिण तरफ काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय की पालना में हाल खसरा नं0–4031/5646 में लगते हुये उत्तर तरफ के हाल खसरा नं0–4031/5644 के रकबे 0.01 हैक्टर का उक्त अप्रार्थी सं0–2 लगायत 4 को खातेदार घोषित किया गया है लेकिन हाल नक्शा ट्रेस को कम्प्युटीकृत करते समय हाल खसरा नं0–4031/5776 रकबा 0.01 हैक्टर को प्रार्थी के खसरा नं0–4031/5644 के दक्षिण दिशा की बजाय उत्तर दिशा की तरफ हाल खसरा नं0–4031/5643 के दक्षिण में दर्शाया है जो मौका स्थिति व पूर्व नक्शा ट्रेस व निर्णय के विपरीत है, जबकि हाल खसरा नं0–4031/5776 को हाल खसरा नं0–4031/5646 के उत्तर की तरफ दर्शाना चाहिये था। प्रार्थी को हाल नक्शा की नकल कम्प्यूट्रीकृत लेने पर जानकारी हुई है। अपार्थीगण सं0–2 लगायत 4 हाल खसरा नं0–4031/5646 के उत्तरी भाग व प्रार्थी हाल खसरा नं0–4031/5643 के दक्षिणी भाग पर काबिज है उक्त दुरूस्ती से अप्रार्थी सं0–2 से 4 के अधिकार प्रभावित नहीं होते है। इस प्रकार हाल नक्शा ट्रेस में हाल आराजी खसरा नं0–4031/5776 को हाल खसरा नं0–4031/5644 के उत्तर में व हाल खसरा नं0–4031/5643 के दक्षिण में दर्शाया है को दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नं0–4031/5776 को हाल खसरा नं0–4031/5644 के दक्षिण व हाल खसरा नं0–4031/5646 के उत्तर में व हाल खसरा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

नं0–4031/5644 को हाल खसरा नं0–4031/5643 के दक्षिण में दर्शाते हुये हाल नक्शा ट्रेस को पूर्व की भाति व मौका स्थिति व प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0–2 लगायत 4 के कब्जे के अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। प्रार्थी ने उक्त प्रकार से हाल कम्प्युटरीकृत नक्शा की गलती की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0–1 के यहाँ दिनांक–05.02.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर हाल नक्शा ट्रेस को दुरूस्ती बाबत अनुतोष चाहा जिस पर अप्रार्थी सं0–1 द्वारा पत्र कमांक/भु.अ/2025/460 दिनांक 05.02.2025 से रिपोर्ट चाही जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक–18.03.2025 को अपनी रिपोर्ट अप्रार्थी सं0–1 को प्रस्तुत की लेकिन अप्रार्थी सं0–1 से उक्त प्रकार नक्शा को दुरूस्त करने हेतु न्यायालय श्रीमान् से आदेश लाने बाबत कहने से प्रार्थना पत्र पेश कर दुरूस्ती के आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी सं0 2 से 4 की ओर से कोई प्रकरण में उपस्थित नहीं आये तथा न ही कोई जवाब/आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलीदार शाहपुरा ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/ 2455 दिनांक 27.5.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई । प्रकरण बहस हेतु नीयत किया गया । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तथा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया।तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट में भी प्रश्नगत को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सेग्रिगेशन के दौरान तरमीम सहवन से अशुद्ध होने से वर्तमान रिकार्ड में मौके के अनुसार शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शे में दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा के हाल खसरा नं0–4031/5776 वाके ग्राम शाहपुरा को नक्शा ट्रेस में हाल खसरा नं0–4031/5644 के दक्षिण व हाल खसरा नं0–4031/5646 के उत्तर में व हाल खसरा नं0–4031/5644 को हाल खसरा नं0–4031/5643 के दक्षिण में दर्शाते हुये हाल नक्शा ट्रेस को पूर्व की भाति व मौका स्थिति व प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0–2 लगायत 4 के कब्जे के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.6.2025 को सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी(राज.)शाहपुरा
जिला–जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर